



us.kaviniviniyam@uppcl.org  
0522-2218329/2218420

## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० #Document Number# कविनी एवं विनियम-29 कमपयु0सं0-22532 दिनांक 23-01-2026

I-38723/2026

### कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(22)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, 30प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली-1995 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु, स्तम्भ-01 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद्द्वारा नवीन व्यवस्था (स्तम्भ-02) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

| अद्यतन व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नवीन व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>स्तम्भ-1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>स्तम्भ-2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><u>विनियमावली के भाग- पांच - सीधी भर्ती - विनियम-13 के अनुसार:-</u></p> <p>सम्बन्धित संशोधनादेश सं० 135-विनियम/कविनी -29/पाकालि/2017 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 2 (विद्युत) सम्प्रति तकनीशियन (विद्युत) के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली लिखित परीक्षा प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण:</p> | <p>वेतनमान -</p> <p><u>तकनीशियन (टी०जी०-2)</u></p> <p>ससम् वेतन ले०-4 (रू०-27200-86100) (2600/-ग्रेड पे)</p> <p><u>शैक्षिक योग्यता:</u> माध्यमिक शिक्षा परिषद 30प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) में से किसी एक ट्रेड में पूर्णकालिक द्विवार्षिक अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र (NCVT/SCVT)।</p> <p>(अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-प मान्य नहीं होंगे)।</p> <p><u>सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>प्रक्रिया -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा 30प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जायेगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जायेगा।</li> <li>30प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET Score या इसी प्रकार की राज्य अथवा केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के Score (जैसा कि निर्धारित किया जाय) के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।</li> <li>चयन के निम्नवत् दो चरण होंगे:-<br/> <b>प्रथम चरण:-</b> रिक्रियों के सापेक्ष अधिकतम 05 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक-2 पर उल्लिखित परीक्षा के Score के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्टिंग हेतु कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा।<br/> <b>द्वितीय चरण:-</b> शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी।</li> <li>द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र निम्न दो भागों में विभाजित होगा :-</li> </ol> |
| <p><b>प्रथम भाग-</b> NIELIT के "CCC" लेवल स्तर के 50 प्रश्न निर्धारित, जिनके लिये निर्धारित अधिकतम 50 अंको में से 20 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।</p> | <p><b>प्रथम भाग में</b> NIELIT के "CCC" लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्नों में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>द्वितीय भाग-</b> की लिखित परीक्षा हेतु कुल</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>द्वितीय भाग</b> के 200 प्रश्न निम्नानुसार</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 प्रश्नों का पाठ्यक्रम निम्नवत है:                                                                                                                                                                        | होंगें:                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान - 20                                                                                                                                                                      | (1) सामान्य अध्ययन - 20                                                                                                                                                                                                                                |
| (2) सामान्य हिन्दी - 15                                                                                                                                                                                      | (2) सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण - 15                                                                                                                                                                                                                    |
| (3) सामान्य अंग्रेजी - 15                                                                                                                                                                                    | (3) सामान्य अंग्रेजी - 15                                                                                                                                                                                                                              |
| (4) तकनीकी विषयक ज्ञान - 150                                                                                                                                                                                 | (4) तकनीकी विषयक ज्ञान - 150                                                                                                                                                                                                                           |
| (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती। कम्प्यूटर ज्ञान में प्राप्त अंक श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते तथा चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33 1/2% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।) | (लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 04 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी)<br>5. द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अन्तिम मेरिट तैयार की जायेगी। |

(ii) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अधिकृत होंगे।

(iii) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली-1995 (यथा संशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से.

पत्र सं० #Document Number# कविनी एवं विनियम-29 तद्विनांक 23-01-2026

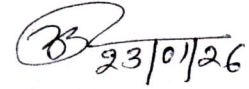
I-38723/2026

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०-वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०-मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०-लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०-आगरा/केस्को, कानपुर एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दि० 12.11.2025 को 216(22)वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।
17. पत्रावली सं०-07-विनियम/18 (TC)(A.S.R/85) में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

 23/01/26

(अंजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)